कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान— ज य पु र.

क्मांक / एफ-4 / एक्ट बीमा / व्य.एवम् प. / 2007-08 /

दिनांक:- |-5-2011

परिपत्र-2/2011

विषय:— राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर सेवा कर की संशोधित दर पर कटौती बाबत।

भारत सरकार के वित्त अधिनियम—2004 के द्वारा दिनांक 10.09.2004 से बीमा प्रीमियम पर सेवाकर अधिरोपित किया गया था, जिसके अनुसार वर्तमान में सकता बीमा प्रीमियम पर 1 प्रतिशत की दर से सेवाकर तथा उस पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा/ उच्च शिक्षा अधिमार की कटौती वेतन बिल से की जा रही है।

अब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या—35/2011 सर्विस टेक्स दि. 25.04.2011 के द्वारा सेक्कर की दर में वृद्धि कर इसे 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस सेवाकर पर पूर्व की भॉति 3 प्रतिशत शिक्षा/उच्च शिक्षा अधिमार भी लागू है। (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।)

अतः माह मई 2011 के वेतन से बीमा प्रीमियम पर 1.545 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत सेवाकर+3 प्रतिशत शिक्षा अधिभार) की दर से सेवाकर की कटौती किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

निदेशक

कमांक / एफ-4 / एक्ट बीमा / व्य.एवम् प. / 2007-08 / 84 कि 184 दिनांक - 1 / 5 / >011 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे वत है:-

- (01) विशेषाधिकारी, (बीमा एवम् पेंशन), वित्त विभाग को वित्त विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार वेतन बिलों से कटौती किये जाने हेतु सभी विभागाध्यक्षों को राज्य सरकार की ओर से भी आदेश जारी कराने हेतु प्रेषित है।
- (02) निजी सहायक निदेशक महोदय
- (03) अति.निदेशक, / संयुक्त निदेशक मुख्यालय / साधारण बीमा योजना / बीमा / पीएफ / न्यू पेंशन स्कीम मुख्यालय जयपुर।
- (ज) संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, सम्भागीय कार्यालय ----
- (06) कोषाधिकारी, कोष कार्यालय को भेजकर लेख है कि प्राप्त बिलों में सेवाकर की कटौती 1.545 प्रतिशत प्राप्त होने पर ही बिल पारित किया जावे।
- (07) रक्षित पत्रावली ।

थितिरिक्त सितंपाक (बीमा)

Cowin

meceived on 2/5/2011

[TO BE PUBLISED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th April, 2011

Notification No.35/2011 - Service Tax

- G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:
- 1. (1) These rules may be called the Service Tax (Third Amendment) Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of May, 2011.
- In rule 6 of the Service Tax Rules, 1994, for sub-rule (7A), the following sub-rule shall be substituted, namely,-
- "(7A) An insurer carrying on life insurance business shall have the option to pay
- (i) on the gross premium charged from a policy holder reduced by the amount allocated for investment, or savings on behalf of policy holder, if such amount is intimated to the policy holder at the time of providing of service;
- (ii) 1.5 per cent of the gross amount of premium charged from a policy holder in all other cases;

towards the discharge of his service tax liability instead of paying service tax at the rate specified in section 66 of Chapter V of the said Act:

Provided that such option shall not be available in cases where the entire premium paid by the policy holder is only towards risk cover in life insurance.".

[F: No. 334/3/ 2011 - TRU]

(Sanjeev Kumar Singh)
Under Secretary to the Government of India

Note.- The principal rules were notified vide notification no. 2/1994-Service Tax, dated the 28th June, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and last amended vide notification No.25/2011-Service Tax, dated the 31st March, 2011, vide number G.S.R. 184(E), dated the 31st March, 2011.